

भवन प्राधिकृत समिति (से-आरएलान) की 107 बी.बी.एस 15-19-5-07 के निर्णय अनुसार :-

अतिरिक्त एजेण्डा-जोन-10

विकस-विकास भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गुरुधाम के अनुमोदन के संबंध में। विकास भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गुरुधाम के अनुमोदन के संबंध में विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये।

1. योजना की सभी आंतरिक सड़कों को 30'-0" रखा जावे।
2. भूखण्ड संख्या 51 व 52 को खसरा नं 1100 में आने के कारण गैर अनुमोदित किया जावे।
3. भूखण्ड संख्या 10 व 56 का आंशिक भाग खसरा बाउण्ड्री से प्रभावित है। अतः भूखण्ड संख्या 10 का खसरा जांच किये जाने के पश्चात् नियमन किया जाये तथा भूखण्ड संख्या 56 पर वर्तमान में सड़क निकलने के कारण इस भूखण्ड को निरस्त किया जावे।
4. भूखण्ड संख्या 53, 54 व 55 में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है अतः व्यावसायिक गतिविधियां हटने के पश्चात् ही नियमन किया जावे।
5. भूखण्ड संख्या 11, 12, 15, 27, 49 व 50 के भूखण्डों की वर्तमान मौका जांच किये जाने के पश्चात् नियमन किया जावे।
6. योजना में शामिल लगभग 860 वर्ग गज अधिक क्षेत्रफल की भूमि को सम्मिलित करते हुए योजना का नियमन करने का निर्णय लिया गया एवं इस अतिरिक्त भूमि का सरकारी भूमि मानते हुए नियमानुसार राशि ली जावे।

D.T.P. (COOP)

S.T.P. (PRJ)

नोटशीट के पेज 84/H के प्रस्ताव एवं 90/H पर 5' प्रस्ताव स्वीकृति अनुवाद प्राधिकृत के ग्रा.सं. 11 से 18 (19) 19 के 50 तक के भूखण्डों का क्षेत्रफल 45.00 वर्ग मी. से कम होने के कारण अंतर्गत विधि पर 2000 के अनुसार 375 है 2000 10' के अंतर पर 5'-0" किया जाता है।



S.T.P.

D.T.P.

- * योजना की पूर्ण (एच.के.) की नंबर 107 के अनुमोदन के बाद निम्न निर्णय लिये गए -
- * योजना की सभी आंतरिक सड़कों को 30'-0" रखा जावे।
- * भूखण्ड सं. 51 व 52 को खसरा नं. 1100 में आने के कारण गैर अनुमोदित किया जावे।
- * भू.सं. 53 व 54 को खसरा नं. 1100 में आने के कारण गैर अनुमोदित किया जावे।
- * भू.सं. 10 व 56 का आंशिक भाग खसरा बाउण्ड्री से प्रभावित है। अतः भूखण्ड सं. 10 का खसरा जांच किये जाने के पश्चात् नियमन किया जावे तथा भू.सं. 56 पर वर्तमान में सड़क निकलने के कारण इस भूखण्ड को निरस्त किया जावे।
- * भू.सं. 53, 54 व 55 में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। अतः व्यावसायिक गतिविधियां हटने के पश्चात् ही नियमन किया जावे।
- * भू.सं. 11, 12, 15, 27, 49 व 50 के भूखण्डों की वर्तमान मौका जांच किये जाने के पश्चात् नियमन किया जावे।
- * योजना में शामिल लगभग 860 वर्ग गज अधिक क्षेत्रफल की भूमि को सम्मिलित करते हुए योजना का नियमन करने का निर्णय लिया गया एवं इस अतिरिक्त भूमि का सरकारी भूमि मानते हुए नियमानुसार राशि ली जावे।

- * योजना की सीमा को अंतरिक सड़कों के अनुसार जोड़ें पर अंतराल में द्वारा किया गया है।
- * योजना अन्तर्गत का जोड़ें पर अंतराल में द्वारा किया गया है।
- * यह आंतरिक योजना अनुमोदन की कार्यवाही हेतु तैयार किया गया है। योजना की अन्तर्गत जोड़ें पर 1000 की कार्यवाही की जा रही है। तथा यह भी अधिनियम में निहित है।

(अतिरिक्त जोन-10)

J. D. A.



LOCATION PLAN AS PER MASTER PLAN / SECTOR PLAN

मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भू उपयोग भूखण्डों की निर्माण स्थिति -

	आवासीय व्यावसायिक
1 पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड -	14
2 चार दीवारी निर्मित भूखण्ड -	18
3 खाली भूखण्ड -	24
कुल भूखण्ड	56

नोके के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनीकी विश्लेषण :-

क्रमांक	भू उपयोग	क्षेत्रफल	प्रतिशत
1	आवासीय	4,000.07 वर्ग गज	71.27%
2	व्यावसायिक	99.99 वर्ग गज	1.66%
3	सड़क	1624.78 वर्ग गज	27.07%
4	सुविधा क्षेत्र	-	-
कुल		6,005.14 वर्ग गज	100%

योजना की नोके जोच, सर्वे एवं मास्टर विकास योजना 2011 की सड़कों भू-उपयोग एवं क्षेत्रफल इत्यादि से संबंधित पूर्ण जोच कर स्थिति योजना मानचित्र में अंकित की गई है।
 Surveyed on 28/12/2002
 H. (RAJESH BARGAVA)
 नगर नियोजक / वास्तुविद् / अभियंता का नाम
 हस्ताक्षर / रजिस्ट्रेशन नं०

योजना की भूमि की रा०म०रा० अधिनियम की धारा 80 बी की कार्यवाही एवं नोके पर भूमि का प्रमाणीकरण सेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम / तहसीलदार
 नाम / उपायुक्त जोन -

बी०पी०सी / जी० एल० सी० की नंबर संख्या दिनांक
 का अनुमोदन में योजना प्राधिकरण की रूप से जारी किया गया।

NAME OF SOCIETY :- VIKAS BHAWAN G. N. S. S.

NAME OF SCHEME :- GURUDHAM

ZONE NO. (C-2) SECTOR NO. 34

SCALE 1"=50'-0" DRG. NO.

A.T.P. ZONE D.T.P. S.T.P.

DC-10